

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 35/2020

तारीख रजू 16.12.2020

गोरधन पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी गोठबिहारी तह.खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पो०

निर्णय

दिनांक..... 5/3/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 37/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गोठबिहारी के आराजी खसरा नम्बर 766/173 रकबा 01.00 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलान्त को पक्ष प्रस्तुति का अवसर दिया बल्कि अपीलान्त की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो निरस्तनीय है। यह है कि अपीलान्त को खसरा नम्बर 766/173 रकबा 01.00 बीघा किस्म चरागाह के किस विशिष्ट भू-भाग पर किनता कब्जा है तथा संवत् 2076 में कौनसी फसल काशत कर अतिक्रमण किया है यह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अतिचार के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से अपने न्यायिक विवके का प्रयोग किये बिना ही पारित किया है जो निरस्तनीय है। यह है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं

15  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर



होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है । अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त के घर से बाहर गांव जाने की स्थिति में तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस को खुले मकान पर चशपा कर तामील करायी गयी । अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 22.10.2020 को उपस्थित हुआ । अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है । जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है । अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ । मेरी राय में अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्त को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक.....5/3/2021.....को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

15  
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
सवाईमाधोपुर